ISBN: 978-93-94819-59-7

The Future of Knowledge: Interdisciplinary Pathways to Innovation (FKIPI-2025)

Editor
Dr. Sarkate Sadashiv Haribhau,
Dr. Shivlal P. Ghuge **Dr. Pathan Kalandar Mustafa**

4. Ethical Consumerism: Trends & Impacts on Commerce

Monica. R 83

----

5. Challenges of Water Management: A Geographical Perspective ofMaharashtra
Prof. Dr. C. D. Thakare 89

----

6. Sustainable Development and NEP 2020: A Pathway to Inclusive and Holistic Education in India
Dr. Seema Prakash Pardeshi 93

----

7. Feminism – Women's Empowerment in Bharat
Chate Vandana Vasantrao, Dr. Sominath Sarangdhar Khade 97

----

8. The Need for Designing a Resilient Business Model for IT Companies: An Analysis of Work Flexibility Strategies for Managing Volatility and Ensuring Sustainability
Saisheela Sudhir Mangaonkar 105

9. कन्या भ्रुण हत्या एक सामाजिक ,चिंतन

अरुण कुमार 110

----

10. माजहती अजिकार कायद्याRी २० वर्ाातील वाटRाल - एक जवश्लेर्ण

डॉ. दीपक द. कोटुरवार 116

----

11. शाश्वत जवकासासाठी नाजवन्यपूणा तिंत्रज्ञान

प्रा. जववेक शाििंताराम Rव्हाण 123

----

12. वतामान समय में जशक्षा और कायास्थलों में कौशल जवकास

डॉ. काि़ल ददलीपभाई खूििंटी 128

----

13. वैश्वीकरण का साििंस्कृजतक िरोहरों पर प्रभाव

प्रा. डॉ. रागीणी महादेव जिराििार 133

----

14. सामाजिक और साििंस्कृजतक पररवतान

प्रा. जनमाला िििलराि `क 139

----

15. अिंतराळ सिंशोिन आजण जवज्ञानातील नवीन जक्षजति अिंतराळ क्षेत्रातील नाजवन्यपूणा शोि : एक आिंतरराष्ट्रीय दृजिकोन

कन्या भ्रूण हत्या

एक सामाजिक चिंतन

श्री अरूण कुमार

विभागाध्यक्ष,

अर्थशास्त्र विभाग

सरिया महाविद्यालय, सरिया

प्रकृति ने स्त्री व पुरुष को समभाव से धरती पर विकसित किया। आरम्भ में मानव ने भी अपने प्रयासों से विकास के पायदान में मीलों का सफर तय करके वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी की बुलन्दियों को छुआ है। ये सभी प्रयास मानव ने अपने जीवन की उत्तरजीविका तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए हैं। परन्तु अज्ञानतावश विकास की प्रक्रिया के दौरान स्वयं की गतिविधियों से अपने ही भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इसके ज्वलंत उदाहरण पर्यावरणीय समस्या अथवा प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, लिंग विभेद आदि कई ऐसे खतरे हैं जो मानव जीवन के भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह हैं।

यदि हम भारत के संदर्भ में विचार करें तो यहां की संस्कृति में आदिकाल से ही नारी की स्थिति पूजनीय है तथा उसे देवी स्वरूप माना जाता है। परन्तु पाश्चात्य देशों के अनुकरण, आधुनिकीकरण के कारण वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे समाज में अभी भी कई ऐसी परम्पराएं विद्यमान हैं जिनके द्वारा किसी स्त्री के सन्तान न हो तो उसे समाज में स्त्री का दर्जा नहीं मिलता। यदि कोई स्त्री बेटी पैदा करती है तो उसे अधूरा माना जाता है इसके विपरीत यदि कोई स्त्री पुत्र पैदा करती है तो उसका कद समाज में ऊंचा हो जाता है। आज भी यदि कोई स्त्री संत, महात्मा, ऋषि–मुनि या पुजारी के पास आशीर्वाद लेने जाती है तो उसे जो आशीर्वाद मिलता है वह है ''पुत्रवती भव'' ना कि पुत्रीवती भव । आज भी समाज में यह धारणा है कि स्त्री को मोक्ष पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है जबकि पुरुष को मोक्ष की तभी प्राप्ति होती है जब उसका बेटा उसे मुखाग्नि दे।

समाज में स्त्री–पुरुष को लेकर भेदभाव की प्रक्रिया गर्भावस्था से हीलिंग विभेद को अनुभव के द्वारा जानने का प्रयास करते थे। आज भी भारत के कुछ आदिम समाज में परम्परागत विधियों से गर्भपात के तरीकों का प्रामाणिक अध्ययन किया गया है। उदाहरणतः परम्परागत भारतीय समाज में आज भी यह मान्यता है कि यदि गर्भवती महिला के पेट में दाईं तरफ हलचल है तो उसके पुत्र तथा बाईं तरफ हलचल है तो उसके पुत्री पैदा करने की सम्भावना रहती है। इस आधार पर बच्चे को जन्म देता है या नहीं, इस विषय पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार पता चलता है कि गर्भपात को प्रभावित करने वाले कारक बहुविषयक है। जिनमें सास की भूमिका, मां की भूमिका, पति की भूमिका, घर की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, समाज – विशेष की मान्यताएं प्रमुख हैं। इन सबके आधार पर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। क्योंकि एक स्त्री अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से को अथवा अपने गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने में शारीरिक, मानसिक दबाव के दौर से गुजरती है। अतः यह प्रक्रिया किसी भी सामान्य नारी के लिए अत्यन्त दुःखदायी है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 23 अगस्त को एक भाषण में कहा था ''नारी उत्थान उनके

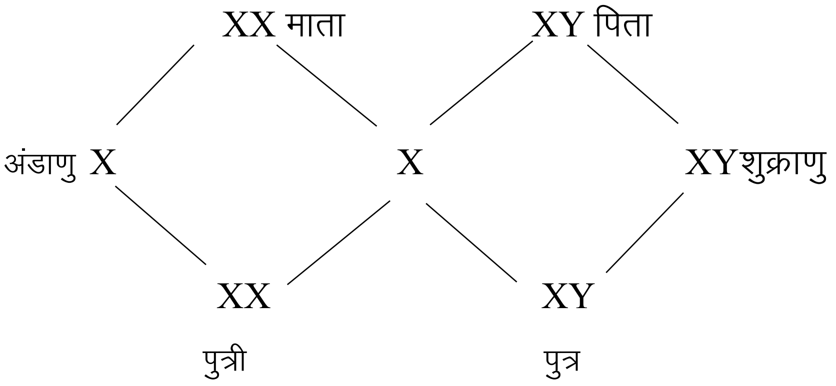

जन्म से पहले से ही शुरू करना होगा और यह कराई स्वीकार नहीं है कि किसी बेटी की भ्रुण हत्या कराया जाए।''

महिलाओं में महीने के दौरान सामान्यतया एक अंडाणु निकलता है जिसमें X गुणसूत्र पाया जाता है जबकि पुरुषों में दो तरह के शुक्राणु बनते हैं जिनमें X तथा Y गुणसूत्र अलग–अलग शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो इससे कन्या का जन्म होता है जबकि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पुत्र पैदा होता है। सामान्यतया लड़के तथा लड़कियों का अनुपात समाज में बराबर होता है। यदि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो अन्यत्र किसी दूसरे परिवार में लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रकार प्रकृति लड़के तथा लड़कियों का अनुपात निर्धारित करती है। लेकिन विज्ञान तथा तकनीकी विकास हो जाने के कारण मनुष्य लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी की सहायता से गर्भावस्था में ही जान लेता है। अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे आसान, सस्ती तथा अधिकांश जगह उपलब्ध तकनीक होने से आज यह आम लोगों की पसन्द बन गई है। इस तरह यदि गर्भ में कन्या पल रही होती है तो उसका गर्भपात करवा दिया

तालिका –01:– राज्यवार स्त्री–पुरूष अनुपात

क्र.सं	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुष पर महिलाएं)
1	केरल	1084
2	पांडिचेरी	1038
3	छत्तीसगढ़	991
4	तमिलनाडु	995
5	मणिपुर	997
6	आंध्रप्रदेश	992
7	उड़ीसा	978
8	मेधालय	986
9	हिमाचल प्रदेश	974
10	कर्नाटक	968
11	उत्तरांचल	963
12	गोआ	968
13	लक्षद्वीप	946
14	त्रिपुरा	961
15	झारखण्ड़	947

16	मिजोरम	975
17	असम	954
18	पश्चिम बंगाल	947
19	महाराष्ट	925
20	राजस्थान	928
21	गुजरात	918
22	मध्यप्रदेश	930
23	बिहार	916
24	नागालैण्ड़	931
25	उत्तरप्रदेश	908
26	अरूणाचल प्रदेश	920
27	जम्मू–कश्मीर	883
28	पंजाब	893
29	सिक्किम	889
30	हरियाणा	877
31	अंडमान–निकोबार द्वीप समुह	878
32	दिल्ली	866
33	दादर–नगर हवेली	775
34	चंडीगढ़	818
35	दमन एवं द्वीप	618

जाता है। पहली जनगणना में प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो वर्ष 2001 जनगणना में घटकर 933 हो गई। गर्भ में लिंग जांच पर रोक लगाने वाले कानून का संशोधित रूप पीसीपीएनडीटी 2002, 14 फरवरी 2003 को देशभर में लागू हो गया है। अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी को पांच साल की जेल और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। देश के अपेक्षाकृत समृद्ध पश्चिमी राज्यों – पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जहां आर्थिक विकासदर, साक्षरतादर, आदि पूर्वी राज्यों की तुलना में अधिक है पिछली दो जनगणनाओं के मुकाबले लिंग अनुपात में भारी गिरावट आई है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम समृद्ध है पिछली दो जनगणनाओं के मुकाबले कम गिरावट आई है। इसका ज्वलन्त उदाहरण भारत के कई राज्यों जैसेः हरियाणा, पंजाब, यू.पी., बिहार में लड़कियों की घटती हुई संख्या है जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

भारत में तेजी से गिरते हुए लिंग अनुपात के पीछे कई धारणाएं जैसे कि यदि लड़की पैदा होती है तो वह घर के छप्पर को भी ले जाती है। विवाह में होने वाला खर्च, दहेज देना, शादी के बाद समय–समय पर ससुराल वालों द्वारा पैसे की मांग आदि समाज में फैली ये प्रथाएं लोगों को बेटी के बजाए बेटा पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर धीरे–धीरे यही सिलसिला चलता रहा तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के लिंग निर्धारण में असन्तुलन आ जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि मानव–जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और यह विलुप्त होती नारियां सरकार एवं समाज के लिए चुनौती बन जाएंगी।

तालिका –2 स्त्री–पुरूष अनुपात

जनगणना वर्ष	स्त्री–पुरूष अनुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं)
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	943
2021	945

समाज में फैली हुई यह धारणा कि लड़की या लड़के का पैदा होना मां पर निर्भर करता है, गलत है। यदि हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो हमे कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें यदि किसी परिवार मे निरन्तर कन्याएं पैदा हो रही थीं तो वह राजा किसी दूसरी स्त्री से विवाह इसलिए करता था कि उसे अपना उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन आज विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने यह साबित कर दिया है कि लड़की या लड़के का पैदा होना उसके पिता पर निर्भर करता है, मां पर नहीं । आधुनिक समाज में ऐसी कुरीतियां अभी भी व्याप्त हैं जिनमें कन्या के पैदा होने पर परिवार के लोग खुश नहीं होते। उसके पालन–पोषण में पुत्र जैसा व्यवहार नहीं किया जाता और इस तरह परिवार में जन्मी, पली–बढ़ी कन्या शारीरिक तथा मानसिक तौर पर कमजोर हो जाती है।

अतः यदि हम अपने देश के विकास के प्रति चिन्तित हैं तो सर्वप्रथम हमें समाज में लड़कियों के गिरते हुए अनुपात तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव पर चिन्तन करना चाहिए। यह एक जघन्य अपराध है। समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर इस बीमारी का निराकरण करना चाहिए। चिकित्सक समुदाय को जागृत कर हमें इस मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान देना होगा। लड़की को समान भाव से समाज में स्थान दिलाना चाहिए तथा वो सारी सुविधाएं जो पुत्र को समाज मे दी जाती हैं, पुत्री को भी मुहैया करानी चाहिए । अन्त में यही कहा जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु को मारने में प्रथा पूरे भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, इस अविलम्ब बन्द किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भ्रूण हत्या प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ है। प्रकृति का अपना नियम होता है जिसे नकारने का परिणाम प्रायः भयंकर होता है भ्रूण हत्या को समाज में कई विसंगतियां पैदा हुईहै जिसकी अनदेखी कतई संभव नहीं है। इससे जहां समाज को विषम महिला–पुरूष अनुपात का दंश झेलना पड़ रहा है वहीं समाज में महिलओं से प्रति असंवेदनशीलता और हिंसक प्रवृतिया इत्यादि कदम–कदम पर दृष्टिगोचर हो रही है। यद्यपि सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और कानून बनाकर इसे नियंत्रित करने की पहल भी की है तथापि भ्रूण हत्या की गति

अप्रभावित है। अतः स्पष्ट है कि इस सामाजिक अभिशाप का अंत केवल कानून द्वारा संभव नहीं है बल्कि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन लाकर ही इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है।

संदर्भ सूची

1. कन्या–भ्रूण हत्या–मानव पर एक कलंक– कल्पना वर्मा
2. आलाचना और आलोचना – मोहन लाल, सुरेश चन्द्र गुप्त
3. भारतीय अर्थव्यवस्था– दत एवं सुन्दरम
4. जनगणना भारत सरकार –2011
5. महिला एवं बाल विकास, विभाग, पत्र सूचना कर्यालय, वर्चुअल लर्निंग